संख्या–1563 / 79–6–2016–1620 / 2009

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर 2016

विषय–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–71 से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत सूखाग्रस्त जनपदों हेतु परिवहन लागत मद में तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक– म0भो0प्रा0 / 1707 / 2016–17 दिनांक 12.09.2016 व पत्रांक– म0भो0प्रा0 / 2329 / 2016–17 दिनांक 21.10.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न विवरणानुसार परिवहन दावों के भुगतान हेतु धनराशि रू0–6.89939 लाख (रू0 छः लाख नवासी हजार नौ सौ उनतालिस मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तो / प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा ।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो के लिए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100 / रा. 0–के)–20–सहायता अनुदान / सामान्य(गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1 / 2016 / बी0–1–746–231 / 2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016

संख्या–1563(1)/79–6–2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0,लखनऊ।
3– श्रम आयुक्त, कानपुर ।
4– निदेशक ,बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।
7– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ0प्र0 शासन ।
8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ0प्र0 शासन ।
9– बजट अनुभाग–2,उ0प्र0 शासन ।
10– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
11– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
12– संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
13– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।
14– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ0प्र0 लखनऊ।
15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016

संख्या–1563/79–6–2016–1620/2009

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः29 नवम्बर 2016

विषय–वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–71 से मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत सूखाग्रस्त जनपदों हेतु परिवहन लागत मद में तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक–म0भो0प्रा0/1707/2016–17 दिनांक 12.09.2016 व पत्रांक– म0भो0प्रा0/2329/2016–17 दिनांक 21.10.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न विवरणानुसार परिवहन दावों के भुगतान हेतु धनराशि रू0–6.89939 लाख (रू0 छः लाख नवासी हजार नौ सौ उनतालिस मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते है कि उक्त स्वीकृत धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वतन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

2– स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा ।

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यो के लिए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि के लेखों के रखरखाव की समस्त कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत आय–व्ययक के अनुदान संख्या–71 के अधीन लेखा शीर्षक '2202–सामान्य शिक्षा–01–प्रारम्भिक शिक्षा–आयोजनागत–112–विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0102–खाद्यान्न तथा प्रबन्धन व्यय (के.100/रा. 0–के)–20–सहायता अनुदान/सामान्य(गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी0–1–746–231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

budget. RP 2016

संख्या–1563(1)/79–6–2016 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,उ०प्र०, इलाहाबाद ।

2– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ०प्र०,लखनऊ।

3– श्रम आयुक्त, कानपुर ।

4– निदेशक ,बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र० लखनऊ।

5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।

6– वरिष्ठ शोध अधिकारी,शिक्षा विभाग ।

7– नियोजन विभाग अनुभाग–4,उ०प्र० शासन ।

8– वित्त ई–11 अनुभाग,उ०प्र० शासन ।

9– बजट अनुभाग–2,उ०प्र० शासन ।

10– वित्त नियंत्रक,बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

11– संबंधित समस्त सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक, उ०प्र०।

12– संबंधित समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।

13– संबंधित समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग।

14– राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उ०प्र० लखनऊ।

15– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव ।

Enclosure of GO-

[Mid-Day-Meal Scheme]

Fund Allocation of cost of transportation to drought affected district during summer vacation in FY-2016-17

Gr-71: Plan 3rd Installment

Rs. In Lakh

Sl. No.	District	Fund to be Release to districts according to the information given by Districts
1	2	3
1	01-Agra	0.01468
2	02-Aligarh	0.00000
3	03-Allahabad	0.00375
4	04-Ambedkar nagar	0.19991
5	05-Auraiya	0.00734
6	06-Azamgarh	0.00000
7	07-Badaun	0.00000
8	08-Baghpat	0.00000
9	09-Bahraich	0.00000
10	10-Ballia	0.02511
11	11-Balrampur	0.08840
12	12-Banda	0.03846
13	13-Barabanki	0.01283
14	14-Bareily	0.00000
15	15-Basti	0.12023
16	16-Bhadohi	0.03577
17	17-Bijnour	0.00000
18	18-Bulandshahar	0.00000
19	19-Chandauli	0.00845
20	20-Chitrakoot	0.00865
21	21-Amethi	0.00286
22	22-Deoria	0.02278
23	23-Etah	0.02080
24	24-Faizabad	0.07642
25	25-Farrukhabad	0.02137
26	26-Fatehpur	0.23075
27	27-Firozabad	0.00000
28	28-G.B. Nagar	0.00000
29	29-Ghazipur	0.00000
30	30-Ghaziyabad	0.00005
31	31-Gonda	0.01224
32	32-Gorakhpur	0.19301
33	33-Hameerpur	0.16251
34	34-Hardoi	0.00000
35	35-Hathras	0.03380
36	36-Itawah	0.00000
37	37-J.P. Nagar	0.00000
38	38-Jalaun	0.48375
39	39-Jaunpur	0.01757

Sl. No.	District	Fund to be Release to districts according to the information given by Districts
40	40-Jhansi	1.06119
41	41-Kannauj	0.24499
42	42-Kanpur Dehat	0.04985
43	43-Kanpur Nagar	0.02290
44	44-Kaas Ganj	0.00000
45	45-Kaushambi	0.00403
46	46-Kushinagar	0.03028
47	47-Lakhimpur Kheri	0.00000
48	48-Lalitpur	0.90134
49	49-Lucknow	0.00069
50	50-Mahoba	0.98530
51	51-Mahrajganj	0.01376
52	52-Mainpuri	0.00123
53	53-Mathura	0.00000
54	54-Mau	0.09919
55	55-Meerut	0.00000
56	56-Mirzapur	0.60986
57	57-Moradabad	0.00000
58	58-Muzaffarnagar	0.00000
59	59-Pilibhit	0.01259
60	60-Pratapgarh	0.24777
61	61-Rai Bareily	0.04571
62	62-Rampur	0.11566
63	63-Saharanpur	0.00000
64	64-Santkabir Nagar	0.10457
65	65-Shahjahanpur	0.42464
66	66-Shrawasti	0.00000
67	67-Siddharthnagar	0.01367
68	68-Sitapur	0.00000
69	69-Sonbhadra	0.03051
70	70-Sultanpur	0.02481
71	71-Unnao	0.01336
72	72-Varanasi	0.00000
73	73-Sambhal	0.00000
74	74-Hapur	0.00000
75	75-Shamli	0.00000
Total		6.89939

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।